# : अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या–8542–8673/भवन निर्माण(91)–2011, दिनांक 18.11.2011 के माध्यम से **''अक्षमता पेंशन योजना''** अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या–1473/छत्तीस–2–12–227(1)2011, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली अक्षमता पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से (50 प्रतिशत या इससे अधिक) अक्षम घोषित हो जाने की तिथि से प्रतिमाह रू0 1000/– बतौर पेंशन लाभार्थी को उसके जीवन काल तक देय होगा।

योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होगें। पूर्व में प्राप्त आवेदनों पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नही होगें।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

**(डॉ0 गुरदीप सिंह)**

सचिव, बोर्ड।

**कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।**

पंत्राक–396–402 /भ0नि0बो( )–2013 दिनांक–25.06.2013

**प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या–1473/छत्तीस–2–12–227/2011, दिनांक 11.06.2013 क्रम में सूचनार्थं।

**(माला श्रीवास्तव)**
उप सचिव, बोर्ड।